PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा का पता: 2री मंजिल,विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट IV
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) देखें]
सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

आदित्य बिरला फाइनेंस लि. और आदित्य बिरला कैपिटल लि. के बीच दिनांक 11.03.2024 की समामेलन योजना के माध्यम से हुए समामेलन, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, के कारण ऋण खाते और नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में आदित्य बिरला फाइनेंस लि. द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई या की जाने वाली सभी दायित्व और स्वीकृतियां समामेलित कंपनी यानी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं। अतः आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड का आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड में विलय हो गया है।

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, 2री मंजिल,विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 27.07.2026को एक मांग सूचना जारी कर ऋणधारको/सह-ऋणधारको/ गारंटरों/ बंधककर्ताओं अर्थात मेसर्स श्री राधे साड़ी शोरूम, अजय सिंह, और श्रीमती प्रीति को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 13 नवंबर, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है

विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय बकाया राशि रु. 2,05,54,830.77 (रुपये दो करोड़ पांच लाख चौवन हजार आठ सौ तीस और सतहत्तर पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, 2री मंजिल,विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्तियों का विवरण -
प्रतिभूति हित के रूप में प्रदान की गई अचल संपत्तियों का ब्यौरा

संपत्ति सं. 1: "3 किता दुकान, जिसका क्षेत्रफल 27.871 वर्ग मी. है, वाकया मोहल्ला मझोला पूर्वी, तहसील और जिला मुरादाबाद" - जो प्रीति के स्वामित्व में है। चौहद्दी इस प्रकार हैं: पूर्वः मकान श्रीमती प्रीति, पश्चिमः सड़क सरकारी मंडी समिति रोड, उत्तरः गली 7 फीट चौड़ी,दक्षिणः मकान मोनू आदि

संपत्ति सं. 2: "1 किता मकान, जिसका क्षेत्रफल 172.364 वर्ग मी.र है, वाकया मझोला पूर्वी, तहसील और जिला मुरादाबाद" - जो प्रीति के स्वामित्व में है। चौहदी इस प्रकार हैं: पूर्वः मकान कुंवरसेन आदि, पश्चिमः अजय सिंह को संपत्ति, उत्तरः गली 7 फीट चौड़ी, दक्षिणः मकान गुरपाल आदि

साथ ही इससे जुड़े हुए सुखाधिकार और इस पर मौजूद तथा भविष्य में निर्मित होने वाले सभी अन्य भवन और संरचनाएं, और जमीन से जुड़ी हुई या जमीन से जुड़ी किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई सभी फिटिंग्स, फिक्स्चर, प्लांट और मशीनरी (वर्तमान और भविष्य दोनों) इसमें शामिल हैं।"

स्थानः मुरादाबाद — आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
दिनांकः 13.11.2026 — अधिकृत अधिकारी

OMKARA ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 9, एम.पी. नगर, 1ली स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरुप्पुर - 641607
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (डब्लू), मुंबई-400028, **दूरभाष**: 022-69231111/9833546349

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("सरफेसी अधिनियम, 2002") की धारा 3 के तहत एक संपत्ति पुनर्गठन कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत जिसका CIN NO. U67100TZ2014PTC020363 है, पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, 1ली स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरुप्पुर - 641607 तथा कॉरपोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ओमकारा पीएस 26/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए,ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत दिनांक 27.03.2025 के समनुदेशन समझौते के माध्यम से एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (जिसे इसके बाद समनुदेशक वित्तीय संस्थान कहा गया है) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित **दीपक कुमार (उधारकर्ता/ बंधककर्ता) और सपना (सह-आवेदक/ बंधककर्ता/ गारंटर)** के संपूर्ण बकाया के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित अधिग्रहित कर लिया है।

और जैसाकि, समनुदेशक वित्तीय संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30/06/2025 को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं/ गारंटरों से दिनांक 30/06/2025 तक कुल **रु. 11,27,230/- (रुपये ग्यारह लाख सत्ताईस हजार दो सौ तीस मात्र)** की बकाया राशि तथा उस पर अनुबंधित दरों के अनुसार अर्जित ब्याज, अवास्तविक ब्याज, साथ ही प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्कों आदि का भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, समनुदेशन समझौते के अनुसार ओएआरपीएल ने समनुदेशक वित्तीय संस्थान का स्थान ले लिया है और वह संपूर्ण बकाया राशि की वसूली करने तथा प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का हकदार बन गया है। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत विधिवत नियुक्त ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज वर्ष 2026 की 16 नवंबर को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन, दिनांक 30/06/2025 तक कुल **रु. 11,27,230/- (रुपये ग्यारह लाख सत्ताईस हजार दो सौ तीस मात्र)** की बकाया राशि तथा उस पर अनुबंधित दरों के अनुसार अर्जित ब्याज/अवास्तविक ब्याज, साथ ही प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्कों आदि के लिए ओमकारा पीएस 26/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 में स्थित है, के प्रभार के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटरों / बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उपर्युक्त खाते में ओएआरपीएल के पास दृष्टिबंधक/समनुदेशित/प्रभारित/बंधक की गई परिसंपत्तियों/संपत्तियों का विवरण, जिनका कब्जा ले लिया गया है, नीचे दिया गया है:

अचल संपत्ति का विवरण

दुकान सं. 17, सलीम संपत्ति सं. 125 और 126, अब 59 का हिस्सा तथा हॉल सं. 64, कागजी बाजार, रबड़ी वाली गली, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002

दिनांकः 16.11.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः मेरठ — **कृते, ओंकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.**
(ओंकारा पीएस26/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

CSB Bank

Trusted Heritage Smart Future

गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

विशिष्ट उधारकर्ता/ओं और इच्छुक बोलीदाताओं को, सामान्य रूप से, सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी भुगतान नोटिस और रिकॉल/नीलामी नोटिस के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा बैंकों को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा बैंक सुरक्षा के साथ गिरवी रखे गए सोने के आभूषण को दिनांक **05 दिसम्बर 2026 को सुबह 10.30 बजे** "जैसा है जहां है" और "गैर-सहारे" के आधार पर सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। बैंक के नोटिस बोर्ड पर इसके प्रकाशन के पश्चात बैंक के विवेकानुसार नीलामी को किसी अन्य बाद की तिथि तक स्थगित किया जा सकता है। ऋणकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि सार्वजनिक नीलामी सफल नहीं होती है और उसके पश्चात कोई और शेष राशि वसूल की जानी है, तो ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के विरुद्ध बैंक को देय शेष राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक ऋणकर्ता के मामले में, सभी शर्तें कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

क्र सं.	नीलामी केन्द्र सीएसबी शाखा	खाते का नाम	ग्राहक आईडी	खाते की सं.	दिनांक 15.11.2026 तक बकाया राशि	वजन (ग्राम)
1	अशोक विहार – दिल्ली	नरेंद्र मोहन कौशिक	07312226	001	8,36,327.58	72.64
2	अशोक विहार – दिल्ली	सुधा कौशिक	07264231	001	1,94,029.10	16.80
3	गौतम नगर	किरण	04675653	002	1,31,400.36	29.00
4	गौतम नगर	सीमा	04406644	001	1,32,172.74	36.00
5	करोल बाग	कुणाल शर्मा	08173781	001	6,17,638.38	110.14
6	पालम	अभिषेक शर्मा	04321688	001	4,14,550.24	39.64
7	पालम	अपूर्व कुमार	10154290	002	10,14,789.42	93.25
8	पालम	दुर्गेश कुमार अवस्थी	04853890	001	4,20,888.85	44.70
9	पालम	कविता	07747263	001	8,59,533.86	76.37
10	पालम	मीरा कुमारी	10088877	001	1,26,888.13	20.41
11	पालम	ऋचा तिवारी	08251558	001	6,24,309.36	69.80
12	पालम	शम्मी	04890762	001	65,567.72	6.40
13	पालम	विजय पाल सिंह	04692525	001	96,252.81	9.70
14	पालम	विशाल	04692276	003	69,45,386.78	611.06
15	जनकपुरी	इरफान	04755525	001	1,56,637.95	15.70
16	जनकपुरी	रंजीता देवी रमन	08359264	004	25,04,280.95	269.77
17	जनकपुरी	खूबीर	10288933	001	7,07,045.99	68.37
18	द्वारका	पायल संगल	07746893	001	52,15,920.08	485.12
19	द्वारका	संगीता शाहू	05017934	001	7,95,271.11	72.49
20	रोहिणी सेक्टर 7	देव गलकिया	10086344	001	8,64,364.92	127.00
21	रोहिणी सेक्टर 7	शुभा कौशिक	07264231	001	6,36,201.47	58.75
22	शान्तीमारबाग	संदीप चौहान	04967452	001	1,01,626.77	10.88
23	ओखला	नीरज कुमार पहाड़ी	07903814	003	8,41,541.58	82.10
24	ओखला	रेशम सिंह	10087331	001	1,70,869.94	23.48
25	पटेल नगर	प्रंजल जायसवाल	04634173	001	1,57,123.28	22.75
26	पटेल नगर	विनोद	10095146	001	5,33,454.36	69.34
27	मयूर विहार–नई दिल्ली	नौसाद	10291500	001	1,36,350.93	11.82
28	मयूर विहार–नई दिल्ली	सुभम चौहान	04937832	002	4,99,671.17	46.46
29	मयूर विहार–नई दिल्ली	सुनीता	10091621	001	2,23,837.18	30.10
30	मयूर विहार–नई दिल्ली	विशाल कुमार	04689617	001	76,186.67	11.65
31	तिलक नगर, नई दिल्ली	अकांक्षा क्नोजिया	10225754	001	7,63,447.55	71.53
32	तिलक नगर, नई दिल्ली	नदीम	07793322	004	32,79,416.84	472.63
33	तिलक नगर, नई दिल्ली	पुनीता शुक्ला	10137347	001	8,16,092.09	75.60
34	तिलक नगर, नई दिल्ली	राजीव कुमार शुक्ला	07893817	001	77,081.82	6.76
35	दिलशाद गार्डन	अमन	08302953	001	4,97,001.83	81.01
36	दिलशाद गार्डन	हंसराज	08247645	001	8,39,373.94	74.28
37	राजौरी गार्डन	मोहम्मद यासीन	10291019	001	7,17,545.73	66.81
38	राजौरी गार्डन	विमल	08274138	001	6,57,689.16	56.89
39	नजफगढ़, नई दिल्ली	जयदीप सिंह	04131176	001	5,11,639.96	56.40
40	नजफगढ़, नई दिल्ली	वीरेंद्र कुमार	05067406	001	7,38,718.73	123.75
41	नरेला	आजाद हुसैन	07928702	001	2,36,661.64	45.06
42	नरेला	भूपेन्द्र	10293844	001	41,906.07	4.93
43	नरेला	हरीश	04593736	001	28,345.89	4.30
44	नरेला	कुसुम लता	05066229	001	68,200.02	13.39
45	नरेला	सागर चौहान	10293784	001	33,611.34	4.56
46	नरेला	सुदेश	04711104	001	30,946.62	6.01
47	नरेला	सुमित्रा	04846054	003	1,91,138.14	26.32
48	मजनुपुरा–नई दिल्ली	बिंदु	04602433	001	32,600.54	6.07
49	मजनुपुरा–नई दिल्ली	जुबैर	05066571	002	6,28,559.28	111.25
50	ट्राई नगर, नई दिल्ली	दीपक आशरा	04280237	001	96,312.28	9.12
51	श्याम नगर–नई दिल्ली	लविश माथोक	04992322	001	3,09,824.27	29.62
52	श्याम नगर–नई दिल्ली	रुप रानी	10290501	002	4,92,337.61	48.19
53	लक्ष्मी नगर	दीपक कुमार	10180774	001	4,37,805.99	43.30
54	लक्ष्मी नगर	राहुल	10085667	002	6,34,324.06	93.02
55	पश्चिम विहार	लविश माथोक	04992322	001	8,50,495.53	77.70
56	कालकाजी	रेशम सिंह	10087331	001	1,99,074.02	21.60
57	नॉर्थल टाउन–नई दिल्ली	करण कुमार	10048181	001	1,50,831.15	15.17
58	नॉर्थल टाउन–नई दिल्ली	सुमित	04924539	001	1,27,998.14	11.60

अधिक जानकारी/खाता जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से, और नीलामी में भाग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 18.11.2026 — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, सीएसबी बैंक

PROFECTUS CAPITAL

प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय का पता: ऑफिस नंबर 3बी, 35 से 40, तीसरी मंजिल, पीनिक्स पैरागन प्लाजा, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं ने, नीचे दी गई सूची में वर्णित संपत्तियों को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया है/ और आप, नीचे उल्लिखित व्यक्ति, इस ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर के रूप में है। आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत 'गैर-निष्पादित आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम, प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। आपके द्वारा दिए गए पते पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया था। पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजे गए नोटिस। उक्त नोटिस की विषय-वस्तु यह है कि आपने अपने लिए गारंटीकृत ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के संदर्भ में नोटिस की सेवा के लिए किया गया है:

मांग नोटिस की तारीख	12.11.2026	ऋण खाता सं.	PMEFGUR0060292	एनपीए की तिथि	04.11.2026
खाते का नाम, उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) के नाम	तिरुपति एंटरप्राइजेज (कर्जदार) सौरभ (सह-(कर्जदार) ममता रानी (सह-कर्जदार)				
मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	रु. 33,64,748/-(रु. तैंतीस लाख चौसठ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) दिनांक 05.11.2026 तक				
लागू की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण	मशीनरी का मॉडलः– हाइड्रोलिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन – फोजा सीरीज 410 टन सर्वो बनाने वाली कंपनीः– फ्यूटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड मशीनरी की कैटेगरीः– प्लास्टिक मशीन का टाइपः– नया				

आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त राशि, ब्याज एवं लागत सहित प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. को अदा करें, अन्यथा प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करते हुए उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं एवं गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों सहित किसी एक या अधिक सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित अन्य कार्यवाही करेगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. को प्राप्त शक्तियों में निम्न शामिल है: (1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों की मुक्ति हेतु लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करने का अधिकार भी सम्मिलित है, (2) सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति, जिसमें लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करने तथा सुरक्षित परिसंपत्तियों का परिसमापन (वसूली) करने का अधिकार शामिल है, और प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का किया गया कोई भी हस्तांतरण ऐसे सभी अधिकारों के साथ प्रभावी होगा, जैसे कि उक्त हस्तांतरण आपके द्वारा ही किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतद् द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है कि आप उपर्युक्त वर्णित तथा प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. के पक्ष में हाइपोथिकेट/बंधक की गई किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति का, प्रोफेक्टस कैपिटल प्रा. लि. की पूर्व स्वीकृति के बिना, बिक्रय, लीज या अन्य किसी भी प्रकार से (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर) हस्तांतरण न करें।

स्थान – दिल्ली, दिनांक 18.11.2026 — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम-8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहेत सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाईनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	कब्जा स्थिति
1	एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–482	2387161	जोहर रॉय (उधारकर्ता) सोम्या रॉय (सह–उधारकर्ता)	20.12.2023 और रु. 16,80,093.88 (रु. सोलह लाख अस्सी हजार तिरान्वे और पैसे अट्ठासी मात्र)	13.11.2026	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः भूतल पर स्थित एक दुकान का संपूर्ण भाग एवं खंड जोकि निजी दुकान सं. 14, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8'-6" x 13'-6" है, जो निर्मित संपत्ति सं. 2545, वार्ड सं. XI का भाग है, जो कूचा चेलान, तिराहा बेहराम खान, दरियागंज, नई दिल्ली, नई दिल्ली–110002 में स्थित है, जिसका वास्तविक स्थल पर क्षेत्रफल कम या अधिक जो भी हो, जैसी है जहाँ है के आधार पर, भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, उक्त संपत्ति में स्थित फिटिंग एवं फिक्स्चर सहित, जिसकी सीमाएँ: पूर्वः दुकान निजी सं. 15, पश्चिमः संपत्ति का भाग, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः 6 फुट चौड़ा रास्ता

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को प्रभार वास्तें राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 18.11.2026 — कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

वसूली अधिकारी का कार्यालय : ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

विक्रय उद्घोषणा

टी.आर.सी. सं./1434/2022 — **आर्सिल बनाम मेसर्स मैजिक वाइब्रेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य**

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय–भुगतेय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा

(सीडी1) मैसर्स मैजिक वाइब्रेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 611, प्रगति टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008।
(सीडी2) श्री मनु खोसला, निवासीः 5/11, दूसरी मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008।
(सीडी3) श्रीमती किरण खोसला, निवासीः 5/11, दूसरी मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008।
(सीडी4) श्री विकास खोसला, निवासीः 5/11, दूसरी मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008।
(सीडी5) मैसर्स पाइसिस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मकान नंबर 19, पहली मंजिल, रोड नंबर 33, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110026

माननीय पीठासीन अधिकारी डीआरटी –I द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार **मैसर्स मैजिक वाइब्रेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** और अन्य से **7,68,84,475.38 रुपये (सात करोड़ अड़सठ लाख चौरासी हजार चार सौ पचहत्तर रुपये और अड़तीस पैसे)** इसके साथ ही, देय ब्याज और खर्च (यदि पहले ही कोई राशि वसूल की जा चुकी है, तो उसे घटा दिया जाएगा) की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति को 23/12/2026 को पब्लिक ई–नीलामी के जरिए बेचा जाएगा।

संपत्ति का विवरण

लॉटों की सं.	उस संपत्ति के विवरण जिसे उस स्थिति में सह–स्वामियों के नामों के साथ बेचा जाना है, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह–स्वामियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है	संपत्ति अथवा उसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व	किसी ऋणभार के विवरण, जो कि संपत्ति पर हैं	सर्टिफिकेट देनदार द्वारा मूल्यांकन, यदि कोई हो	दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है, तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10% राउंड ऑफ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सम्पत्ति, यानी एफ–18ए और एफ–18बी, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एसएम 3 और 4, मित्तल मेगा मॉल, सेक्टर 25 (एच), पानीपत, हरियाणा; जिसका कुल क्षेत्रफल 1918.65 वर्ग फुट + 1413.35 वर्ग फुट है।	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	नहीं	जानकारी नहीं	रु. 1,50,75,000	रु. 15,07,500

1. नीलामी/बोली लगाने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई–नीलामी वेबसाइट https://baanknet.com के ज़रिए होगी।
2. बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सर्विस प्रोवाइडर के पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ई–नीलामी में भाग लेने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प